

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा  
आंशिक संशोधित कार्य विभाजन आदेश

क्रमांक 62 /सांलि 0-36/2005

हरदा, दिनांक 24/08/2023

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र क्रमांक ए/3452 दिनांक 04.09.2022 के अनुशरण में महिलाओं के विरुद्ध अपराध (आफन्स अगेन्स वोमेन—OAW) के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा के न्यायालय को विशेष न्यायालय (OAW) हरदा अधिसूचित किये जाने के कारण कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 44 दिनांक 22.07.2023 तथा आंशिक संशोधित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 52 दिनांक 03.08.2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

- (1) कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 44 दिनांक 22.07.2023 के सरल क्रमांक 1 में पदनाम “प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (U/s Sec. 376 and Other Offence Against Women Cases) तथा अध्यक्ष, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, हरदा” स्थापित किया जाता है।
- (2) कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 44 दिनांक 22.07.2023 के सरल क्रमांक 1 के सत्र खण्ड के अन्तर्गत अनुक्रमांक 16 स्थापित किया जाता है :—

“माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र क्रमांक ए/3452 दिनांक 04.09.2022 के अनुशरण में जिला हरदा की क्षेत्राधिकारिता के समस्त थानों के महिलाओं के विरुद्ध अपराध (आफन्स अगेन्स वोमेन OAW) से संबंधित प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।”

- (3) आंशिक संशोधित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 52 दिनांक 03.08.2023 के सरल क्रमांक 4 के कॉलम क्रमांक 2 में पदनाम “द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (U/s Sec. 376 and Other Offence Against Women Cases) हरदा” के स्थान पर पदनाम “द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरदा” प्रतिस्थापित करते हुए कॉलम क्रमांक 3, 4 व 5 विलोपित कर “रिक्त न्यायालय” अंकित किया जाता है।

- (4) आंशिक संशोधित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 52 दिनांक 03.08.2023 की अनुसूची—“अ” के सरल क्रमांक—4 के कॉलम क्रमांक 2 में पदनाम “द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदा” प्रतिस्थापित किया जाकर कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 में “रिक्त न्यायालय” अंकित किया जाता है।

संशोधन उपरांत कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 44 दिनांक 22.07.2023 के सरल क्रमांक 1 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

सं. क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्रा— धिकार	अनु क्र.	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (U/s Sec. 376 and Other Offence Against Women Cases) तथा अध्यक्ष, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, हरदा	सत्र खण्ड	16	माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र क्रमांक ए/3452 दिनांक 04.09.2022 के अनुशरण में जिला हरदा की क्षेत्राधिकारिता के समस्त थानों के महिलाओं के विरुद्ध अपराध (आफन्स अगेन्स्ट वोमेन OAW) से संबंधित प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

इसी प्रकार संशोधन उपरांत आंशिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 52 दिनांक 03.08.2023 के सरल क्रमांक 4 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

सं. क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्रा— धिकार	अनु क्र.	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
4	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदा			रिक्त न्यायालय

सही /—

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
हरदा

हरदा, दिनांक 24/08/2023

पृष्ठांकन क्रमांक 1146 / सां०लि० / 36

प्रतिलिपि :—

- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त न्यायाधीश, हरदा / टिमरनी / खिरकिया
- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, हरदा
- पुलिस अधीक्षक, हरदा
- जिला अभियोजन अधिकारी, हरदा
- अध्यक्ष / सचिव, बार एसोसिएशन, हरदा / टिमरनी / खिरकिया
- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- सिस्टम ऑफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग, हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यविभाजन आदेश जिला न्यायालय, हरदा की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित की ओर ऑनलाईन प्रसारित करें।

सही /—

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
हरदा